

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
खान निदेशालय

पत्रांक - ख०नि०(विविध)-186/2015

/ एम०, राँची, दिनांक-

प्रेषक,

सत्यप्रकाश नेगी
निदेशक, खान,

सेवा में,

सभी जिला/सहायक खनन पदाधिकारी,
झारखण्ड।

विषय :- अवैध खनन के विरुद्ध दायर किये जाने वाले परिवाद पत्र
/ प्राथमिकी का विहित प्रपत्र।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि खनिजों के अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम हेतु विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा MM(DR) Act, 1957, JMMCR, 2004 एवं JMDR, 2007 के अन्तर्गत थाना में प्राथमिकी एवं न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया जाता है। प्राथमिकी/परिवाद पत्र में एकरूपता लाने हेतु विभाग के द्वारा तीन विहित प्रपत्र क्रमशः अवैध उत्खनन, अवैध भण्डारण एवं अवैध परिवहन I, II, एवं III इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: यथोक्त

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक, खान।

ज्ञापांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- सभी अपर निदेशक, खान/सभी उप निदेशक, खान झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

ज्ञापांक 96/स्क दिनांक 12-1-16 निदेशक, खान।

प्रतिलिपि:- प्रोजेक्ट मैनेजर, JIMMS को वेबसाइट पर नोटिस अपलोड करने हेतु अग्रसारित।


निदेशक, खान।